उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1971)

[17 जुलाई, 1971]

शासन के अन्तर्गत कुछ लाभप्रद पदों में यह घोषित करने के लिए कि उन पर अध्यासित व्यक्ति उन पदों के कारण राज्य विधान-मण्डल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे,

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :---

1. संक्षिप्त नाम---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 कहलाएगा।

2. परिभाषाएं---जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :---

(क) 'प्रतिकर भत्ता' का तात्पर्य किसी पदधारी को दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता के रूप में इस प्रयोजन से देय धनराशि से है जिससे कि वह उक्त पद के कृत्यों का संपादन करने में अपने द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति कर सके, ऐसे भत्ते, दैनिक भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता की दशा में, न तो उन दरों से अधिक हो और न उन शर्तों से अधिक अनुकूल शर्तों पर ग्राह्य हों जो संविधान के अनुच्छेद 195 के अधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रयोज्य हों,

(ख) 'परिनियत निकाय' का तात्पर्य किसी निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों के अन्य निकाय से है, चाहे वह निगमित हों या न हों, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित हों,

(ग) 'अपरिनियत निकाय' का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे निकाय से है जो परिनियत निकाय न हो,

(घ) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ।

3. कुछ लाभप्रद पद अनर्ह न करेंगे---एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई पद, जहां तक वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई लाभप्रद पद हो उसके धारक को राज्य विधान-मण्डल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए न तो अनर्ह करेगा और न कभी भी अनर्ह किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :---

(क) संघ या राज्य के किसी राज्य मंत्री या उपमंत्री का पद अथवा किसी मंत्री के सभा सचिव का पद,

(ख) नेशनल केडेट कोर ऐक्ट, 1940 (ऐक्ट संख्या 31, 1940), टेरिटोरियल आर्मी ऐक्ट, 1940 (ऐक्ट संख्या 56, 1940), या रिजर्व एंड आग्जीलियरी एयर फोर्सेज ऐक्ट, 1952 (ऐक्ट संख्या 82, 1952) के अधीन संगृहीत या अनुरक्षित किसी दल के किसी सदस्य का पद,

(ग) जबकि संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, भारतीय स्थल सेना, भारतीय वायु सेना या भारतीय नौ सेना या रक्षित दल के किसी अधिकारी का पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, या नागरिक सुरक्षा सेवा के किसी सदस्य का पद,

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित होम गार्ड्स में कोई पद ;

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित किसी ग्राम सुरक्षा दल (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) में कोई पद ;

(च) किसी विश्वविद्यालय के सिंडिकेट, सेनेट, कार्यकारिणी समिति, परिषद् या कोर्ट अथवा विश्वविद्यालय से संबंद्ध किसी अन्य निकाय के या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था की प्रबंध समिति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(छ) किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा भारत के बाहर भेजे गए किसी प्रतिनिधि मण्डल या शिष्ट मण्डल के सदस्य का पद ;

---

[1] राज्यपाल की तारीख 17-7-1971 को अनुमति प्राप्त हुई । उत्तर प्रदेश राजपत्र, असाधारण, तारीख, 17 जुलाई, 1971, पृ0 4-6 में प्रकाशित ।

(ज) राज्य सरकार के नियोजन विभाग में राज्य मूल्याकंन सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद ;

(झ) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966) के अधीन किसी सहकारी समिति को प्रबन्ध कमेटी में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य अथवा सभापति का पद ;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सिंचाई आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(ट) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्रम आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(ड) लोक महत्व के किसी विषय के संबंध में भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के लिए या किसी ऐसे विषय के संबंध में जांच करने अथवा आंकड़े संगृहीत करने के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई किसी समिति के (चाहे उसमें एक सदस्य या अधिक सदस्य हों) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अथवा सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो ;

(ढ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (अधिनियम संख्या 43, 1951) की धारा 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए खण्ड (ज), खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट), खंड (ठ), या खंड (ड) में अभिदिष्ट किसी ऐसे निकाय से भिन्न किसी परिनियत या अपरिनियत निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो ;

(ण) किसी ग्राम राजस्व अधिकारी का पद, चाहे उसे लम्बरदार, प्रधान, सरग्रोह, मालगुजार, ग्राम सयाना, खात सयाना के नाम से या किसी अन्य नाम से पुकारा जाए, जिसका कार्य मालगुजारी वसूल करना हो और जिसे उसके द्वारा वसूल की गई मालगुजारी का अंश या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक दिया जाए, किन्तु जो पुलिस के किन्हीं कृत्यों को न करता हो ;

(त) इंडियन सिक्योरिटीज ऐक्ट, 1920 (ऐक्ट संख्या 10, 1920) में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों या भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं बचत प्रमाणपत्रों की बिक्री के लिए अथवा उसके अंशदानों के संग्रहण के लिए किसी एजेंट का (कमीशन पर या बिना कमीशन पर) पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए ;

(थ) संविधान के अनुच्छेद 31क के खंड (1) के उपखंड (ख) के अधीन बनाई गई विधि के अन्तर्गत सीमित अवधि के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई किसी सम्पत्ति के प्रबन्ध के लाभप्रद पद, जब वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धृत हो जो इस प्रकार उक्त सम्पत्ति के अधिकार में लिए जाने के पूर्व से उसके प्रबन्ध के संबंध में सेवायाचित हो ;

(द) कोई पद जो किसी विशेष कर्तव्य का पालन करने के लिए पूर्णकालिक पद न हो, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो ;

(ध) पैनल के वकील का पद (जिसके अन्तर्गत 1950 ई0 का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 127ख के अधीन नियुक्त कोई पैनल का वकील भी हो), यदि ऐसे पद का धारक किसी प्रतिधारण या वेतन, उसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, के लिए हकदार न हो ;

(न) लेख्य-प्रमाणक या शपथ अधिकारी का पद या किसी न्यायालय या कलेक्टर द्वारा नियुक्त कमिश्नर अथवा आदाता अथवा एमीकस कथूरी का पद अथवा सरकारी आदाता किन्तु इसके अन्तर्गत सरकारी परिसमापक का पद नहीं है ;

[1](प) राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(फ) राज्य सरकार के पंचायती राज (2) विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 4519-बी/33-III-71, तारीख 13 दिसम्बर, 1971 द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(ब) राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा नियुक्त राजस्व न्यायिक पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद ;

---

[1] 1973 के राष्ट्रपति अधिनियम सं0 14 द्वारा अंतःस्थापित, 1974 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 30 द्वारा पुनः अधिनियमित ।

(भ) निम्नलिखित कानूनी निकायों से प्रत्येक के अध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पद, अर्थात् :---

(1) उत्तर प्रदेश स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन,

(2) उत्तर प्रदेश स्टेट रोड़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन,

(3) उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन,

(4) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, ;

(म) निम्नलिखित कानूनी निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पद, अर्थात् :---

(1) उत्तर प्रदेश स्टेट स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड,

(2) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड,

(3) उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,

(4) उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड,

(5) उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड,

(6) उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड,

(7) उत्तर प्रदेश स्टेट विलेज कारपोरेशन लिमिटेड,

(8) उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन,

(9) हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,

(10) प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड,

(11) इंडियन टरपेन्टाइन एंड रोजिन कम्पनी लिमिटेड,

(12) उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कारपोरेशन,

(13) पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड,

(14) बुन्देलखंड विकास निगम लिमिटेड ;

(य) उत्तर प्रदेश में वक्फों के सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड या शिया सेन्ट्रल बोर्ड के, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य या नियंत्रक, यदि कोई हो, का पद ।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव के पद के अन्तर्गत उसी प्रकार के सभी पद होंगे, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए ।

4. निम्नलिखित अधिनियम एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं :---

(1) दि यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव मेंबर्स रिमूवल आफ डिसक्वालिफिकेशन ऐक्ट, 1940 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 7, 1940),

(2) उत्तर प्रदेश सभा सचिव (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1950 ई0),

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1951 ई0 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1951),

(4) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1952),

(5) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1952),

(6) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1953),

(7) उत्तर प्रदेश विधान-मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1954 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1954),

(8) उत्तर प्रदेश विधान-मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1955),

(9) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1956),

(10) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनूपूरक) अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1957) ।